

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी, 2019-माघ 5, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

**BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL OF,
NAVSARI, CAMP-AT VANSDA GUJARAT**

M. A. C. P. No. 221/2010

Fixen On 27-02-2019

Applicant :- Amliben Ramjibhai Patel+1
Resi. Sukhabari, Ta. Vansda,
Dist. Navsari.

Ld. Adv. T.D. Patel

VERSUS

Opponent :- 1. BHUPENDRA GOKULSINH
Resi.: Dhamnod, Sundarlal Road,
Mitha Colony, Dhamnod,
Ta. Dist. Dhar, State: Madhya Pradesh.

The Opponent No. 1.

You are hereby informed that, whereas applicant has filed the above numbered Motor Accident Claim Petition No. 221/2010 against you under Sections 166 of Motor Vehicle Act, 1988 claiming compensation of Rs.8,85,000.00 (Rupees Eight Lakh Eighty Five Thousand only). You are therefore, hereby noticed to appear before this Tribunal in personally or through your pleader on **27th February of 2019 at 10.30 a.m.** to answer the claim petition and further you are hereby directed to file your written statement of your defence and to produce all documents in your possession or power upon which you base your defence.

Take Notice that in default of your appearance on the aforesaid date, the claim petition will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal of the Tribunal on 07th January 2019.

Prepared By:
S. S. Makwana
 (Assistant)
 MACT (AUXI) NAVSARI,
 CAMP AT VANSDA NAVSARI.

By Order:
A. N. MISTRY
 (Superintendent)
 MACT (AUXI) NAVSARI,
 CAMP AT VANSDA NAVSARI.

(834-B.)

Company Appeal No. 197/252(3)/NCLT/AHM/2018

संदीप गुप्ता
 विरुद्ध

कम्पनी रजिस्ट्रार, ग्वालियर के संबंध में

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-252 (3) के संबंध में कम्पनी पीटीशन सं.197/252/NCLT/AHM/2018 के तहत
 कम्पनी का नाम प्रवर्तित करने के बारे में

यह सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायधिकरण, अहमदाबाद पीठ ने कम्पनी अपील क्रमांक 197/252/रा. क.वि.न्याय./अहमदाबाद/2018 में आदेश दिनांक 13-11-2018 द्वारा केडी पैकेजिंग प्रायवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत पता प्लॉट नं., 29, न्यू मार्केट टी.टी. नगर, भोपाल मध्यप्रदेश-462003 है को कम्पनियों के रजिस्ट्रार में पुनःस्थापना के लिये निर्देशित किया है। माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायधिकरण, अहमदाबाद पीठ के उक्त आदेशानुसार कम्पनी जिसका नाम केडी पैकेजिंग प्रायवेट लिमिटेड है को कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश द्वारा कम्पनियों के रजिस्ट्रार में पुनःस्थापित कर दिया गया है।

स्थान: ग्वालियर.

दिनांक: 03-01-2019

(852-B.)

Company Appeal No. 197/252(3)/NCLT/AHM/2018

IN THE MATTER OF SANDEEP GUPTA
 V/S
 REGISTRAR OF COMPANIES GWALIOR

In the matter of company Appeal No. 197/252/NCLT/AHM/2018 Regarding Restoration of name of the company U/s 252(3) of the companies Act, 2013.

Notice is hereby issued that The Hon'ble National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench, vide order Dated 13-11-2018 Passed in Company Appeal No. 197/252 (3)/NCLT/AHM/2018 directed for restoration of company namely KD Packaging Private Limited having registered office at Plot No.29, New Market, T.T. Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh.462003, India. in the register of Companies maintained by Registrar of Companies, Madhya Pradesh. As per the said order of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench, the name of the company namely KD Packaging Private Limited has been restored in the register of companies maintained in the office of Registrar of Companies, Madhya Pradesh, Gwalior.

SANDEEP GUPTA,
 APPLICANT/APPEALEANT.

Place:Gwalior,

Date : 03-01-2019

(852-AB.)

Company Appeal No. 167/252(3)/NCLT/AHM/2018

सुधान्शु चतुर्वेदी

विरुद्ध

कम्पनी रजिस्ट्रार, ग्वालियर के संबंध में

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-252 (3) के संबंध में कम्पनी पीटीशन सं.167/252/NCLT/AHM/2018 के तहत
कम्पनी का नाम प्रवर्तित करने के बारे में

यह सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायधिकरण, अहमदाबाद पीठ ने कम्पनी अपील क्रमांक 167/252/रा. क.वि.न्याय./अहमदाबाद/2018 में आदेश दिनांक 13-07-2018 द्वारा ओमनी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रायवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत पता 184, श्रीनगर मेन, इन्दौर, मध्यप्रदेश, 452001 है को कम्पनियों के रजिस्टर में पुनःस्थापना के लिये निर्देशित किया है. माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायधिकरण, अहमदाबाद पीठ के उक्त आदेशानुसार कम्पनी जिसका नाम ओमनी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रायवेट लिमिटेड है को कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश द्वारा कम्पनियों के रजिस्टर में पुनःस्थापित कर दिया गया है.

स्थान: ग्वालियर.

दिनांक: 03-01-2019

(853-B.)

Company Appeal No. 167/252(3)/NCLT/AHM/2018

IN THE MATTER OF SUDHANSHU CHATURVEDI

V/S

REGISTRAR OF COMPANIES GWALIOR

In the matter of company Appeal No. 167/252/NCLT/AHM/2018 Regarding Restoration of name of the company U/s 252(3) of the companies Act, 2013.

Notice is hereby issued that The Hon'ble National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench, vide order Dated 13-07-2018 Passed in Company Appeal No. 167/252 (3)/NCLT/AHM/2018 directed for restoration of company namely Omni Infrastructure Private Limited having registered office at 184, Shrinagar Main Indore, Madhya Pradesh.452001, In the register of Companies maintained by Registrar of Companies, Madhya Pradesh. As per the said order of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench, the name of the company namely Omni Infrastructure Private Limited has been restored in the register of companies maintained in the office of Registrar of Companies, Madhya Pradesh, Gwalior.

Place:Gwalior,

Date 03-01-2019

(853A-B.)

SUDHANSHU CHATURVEDI,
APPLICANT/APPEALEANT.

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, लालबाबू सिंह पुत्र श्री रमार्शंकर सिंह, आयु 59 वर्ष, निवासी सी-329, सेक्टर सी, शाहपुरा भोपाल मध्यप्रदेश है. मेरा नाम जो कि आधार कार्ड एवं निर्वाचन आयोग के पहचान-पत्र में लालबाबू सिंह बिसेन अंकित है जोकि लालबाबू सिंह बिसेन एवं लालबाबू सिंह उक्त दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं जो कि मेरे स्वयं के हैं अब भविष्य में मुझे लाल बाबू सिंह बिसेन के नाम से जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(लालबाबू सिंह)

(814-बी.)

नया नाम :

(लाल बाबू सिंह बिसेन)

CHANGE OF SURNAME

I, Mr. ANSHUMAN, Son of Dr. VINOD SHARMA, Date of Birth 07-05-1997 and resident of D2, Nehru Shatabdi Chikitsalaya Jayant. Dist Singrauli, MP, PIN 486890 have changed my name by adding surname Sharma. Thus I have changed my name from ANSHUMAN to ANSHUMAN SHARMA by an affidavit sworn before the Notary Public, Waidhan, DIST Singrauli on 17-12-2018 Henceforth. I Shall be known as ANSHUMAN SHARMA for all the purposes.

Old Name:

(ANSHUMAN)

New Name :

(ANSHUMAN SHARMA)

Addr.—D2, Nehru Shatabdi Chikitsalaya Jayant.
Dist Singrauli, MP, PIN 486890.

(835-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, मार्टिन पिता समसू भुरिया जन्म दिनांक 22-12-1980 उम्र 37 वर्ष जाति भील धंधा नौकरी, निवासी रसोड़ी छोटी, ग्राम पंचायत काजली डुंगरी, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश ने धर्म परिवर्तन के कारण अपना नाम परिवर्तन कर लिया है. अब मुझे एवं समस्त शासकीय दस्तावेज अंकसूची में अंकित पुराने नाम मार्टिन भुरिया के स्थान पर नये नाम मानसिंह भुरिया से पहचाना लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(मार्टिन)

पिता समसू भुरिया.

नया नाम :

(मानसिंह)

पिता समसू भुरिया,
निवासी-ग्राम रसोड़ी छोटी, पो. काजली डुंगरी,
तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.).

(836-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, निर्भय सिंह भदौरिया सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का नाम सोमराज सिंह है जो कि मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं बीमा पॉलिसियों में अंकित है वर्तमान में मैं, निर्भय सिंह भदौरिया के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा मेरे आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में अंकित है सोमराज सिंह एवं निर्भय सिंह भदौरिया एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा भविष्य में भी मैं निर्भय सिंह भदौरिया नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूँगा अतः मेरे शैक्षणिक प्रमाणपत्र एवं बीमा पॉलिसियों इत्यादि में मेरा नाम सोमराज सिंह के स्थान पर निर्भय सिंह भदौरिया अंकित किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(सोमराज सिंह)

नया नाम :

(निर्भय सिंह भदौरिया)

निवासी-367, प्रसाद नगर, जिला ग्वालियर.

(837-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, राकेश सिंह जाटव पुत्र श्री चन्दन सिंह जन्म दिनांक 14-05-1980 व्यवसाय प्राइवेट नौकरी आधार कार्ड नं. 379056974883 वर्तमान पता बौद्ध नगर, गुड़ा, कम्पू लशकर, ग्वालियर मध्यप्रदेश स्थाई पता ग्राम नागोर, पोस्ट बड़ोरी, वार्ड 66, जिला ग्वालियर हूँ की एक एल.आई.सी. पॉलिसी क्रमांक 200037778 में मेरा नाम राकेश ऐसैया का अंकित है जबकि मेरा बाकी समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, बैंक खाता पढ़ाई-लिखाई आदि में राकेश सिंह जाटव होकर आम प्रचलन में के नाम परिवर्तन हेतु शपथपत्र प्रस्तुत है. अतः अब मुझे राकेश ऐसैया की जगह राकेश सिंह जाटव के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(राकेश ऐसैया)

नया नाम :

(राकेश सिंह जाटव)

पुत्र-श्री चन्दन सिंह.

(838-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती किरण बिसेन पति श्री देवेन्द्र कुमार बिसेन वार्ड नं. 32, जय प्रकाश वार्ड, बालाघाट मध्यप्रदेश का विवाह पूर्व नाम कुमारी अम्मा पिता पन्नालाल पटले था. विवाह पश्चात् अपना नाम श्रीमती किरण बिसेन पति श्री देवेन्द्र कुमार बिसेन लिखा करती हूँ एवं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ अतः मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में नये नाम श्रीमती किरण बिसेन पति श्री देवेन्द्र कुमार बिसेन लिखा-पढ़ा तथा पहचाना जावें.

पुराना नाम :
(कुमारी अम्मा)
पिता पन्नालाल पटले.

नया नाम :
(किरण बिसेन)
पति देवेन्द्र कुमार बिसेन,
निवासी-वार्ड नं. 32,
जयप्रकाश वार्ड, बालाघाट.

(839-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूरा नाम उपनाम सहित संगीता बर्मन पुत्री राम दुलारे बर्मन एवं तारा बाई बर्मन है, जो कि मेरे ज्यादातर दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में हमारा नाम उपनाम रहित संगीता पुत्री राम दुलारे एवं तारा बाई लिखा हुआ है, अतः मेरे समस्त शासकीय अशासकीय व शैक्षणिक दस्तावेजों में हमारा पूरा नाम उपनाम सहित संगीता बर्मन पुत्री राम दुलारे बर्मन एवं तारा बाई बर्मन ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(संगीता)
पुत्री-राम दुलारे एवं तारा बाई.

नया नाम :
(संगीता बर्मन)
पुत्री-राम दुलारे बर्मन एवं तारा बाई बर्मन,
निवासी-शिवाजी वार्ड नं. 17, मुडवारा,
जिला कटनी (म.प्र.).

(840-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि शादी पूर्व मेरा नाम यशोधरा कनेश था, जिसे शादी के बाद मैंने बदलकर यशोधरा राँय कर लिया था. अतः मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नया नाम यशोधरा राँय ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(यशोधरा कनेश)

नया नाम :
(यशोधरा राँय)
निवासी-43, अहिल्या नगर एक्स.,
अन्नपूर्णा रोड़, इन्दौर (म.प्र.).

(841-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र ओजस्व पाटीदार को स्कूल में भर्ती करते समय उसके पिता एवं माता का नाम त्रुटीवश कैलाश पाटीदार एवं मंजुला पाटीदार लिखा गया था जबकि सही नाम ओजस्व पाटीदार पुत्र लक्ष्मीनारायण पाटीदार एवं ज्योति बाई पाटीदार है जो कि उसके ज्यादातर दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में हमारा नाम गलत लिखा गया है. अतः उसके समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में भी हमारा सही नाम ओजस्व पाटीदार पुत्र लक्ष्मीनारायण पाटीदार एवं ज्योति बाई पाटीदार ही लिखा-पढ़ा जावे.

प्रार्थी.

लक्ष्मीनारायण पाटीदार,
एवं ज्योति बाई पाटीदार-पिता व माता,
निवासी-मेहगाव, तह-धरमपुरी,
जिला धार (म.प्र.).

(842-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम परिवर्तन कर हितेश जयन्तीलाल दत्तानी (Hitesh Jayantilal Dattani)

के स्थान पर हितेश भाई जेन्तीलाल दत्तानी (Hitesh Bhai Jentilal Dattani) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम हितेश भाई जेन्तीलाल दत्तानी (Hitesh Bhai Jentilal Dattani) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा. सो विदित हों.

पुराना नाम :
(हितेश जयन्तीलाल दत्तानी)
(848-बी.)

नया नाम :
(हितेश भाई जेन्तीलाल दत्तानी)
निवासी-1/8, महेश नगर, राजमोहल्ला,
इन्दौर (म.प्र.). 452002.

CHANGE OF NAME

I, Mrs. Sanchita Khemchandani inform public in general that I have been married to Mr. Tarun Khemchandani S/o Mr. Balkishan Khemchandani on 22 November, 2018 as per Hindu marriage tradition. I have been mentioned as Priya Kundhal in all my educational certificates and Govt. Semi Govt. documents before marriage but after my marriage With Mr. Tarun Khemchandani R/o 49F, PNB Colony, idgah Hills, Bhopal-462001,M.P., I am known and called as Sanchita Khemchandani at present and in future in all legal purposes and will put my signature as Sanchita Khemchandani. So, My name should be changed to Sanchita Khemchandani in all educational and govt./semi govt. documents so everybody and public in general should this change in my name and surname.

Old Name:
(PRIYA KUNDHAL)
(849-B.)

New Name :
(SANCHITA KHEMCHANDANI)

नाम परिवर्तन

मैं, सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी कक्षा 01 से कक्षा 06वीं तक की अंकसूची एवं रजिस्ट्री में मेरा नाम राधामोहन दुबे पुत्र श्री नेमीचन्द्र दुबे अंकित है जबकि मेरी कक्षा 7,8,9,10,11,12वीं एवं ग्रेज्यूट की अंकसूची एवं आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम देव दुबे पुत्र श्री नेमीचन्द्र दुबे अंकित है राधामोहन दुबे पुत्र श्री नेमीचन्द्र दुबे एवं देव दुबे पुत्र श्री नेमीचन्द्र दुबे दोनों ही नाम मेरे ही हैं जोकि सत्य व सही हैं. अतः भविष्य में मुझे देव दुबे पुत्र श्री नेमीचन्द्र दुबे, निवासी ए ब्लॉक, 43, आनंद नगर, खजूर वाली माता के पास, बहोड़ापुर ग्वालियर के नाम से जाना एवं पहचाना व पुकारा जावेगा.

पुराना नाम :
(राधामोहन दुबे)
पिता-नेमीचन्द्र दुबे.

नया नाम :
(देव दुबे)
पुत्र-श्री नेमीचन्द्र दुबे,
निवासी-ए ब्लॉक, 43 आनंद नगर,
खजूर वाली माता के पास,
बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(851-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, यूसुफ खान (Yusuf Khan) सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का नाम इसुप खान है जो कि मेरे सभी शैक्षणिक, प्रमाण-पत्र एवं बीमा पॉलिसियों में अंकित है वर्तमान में मैं, यूसुफ खान के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा मेरे आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में अंकित है इसुप खान एवं यूसुफ खान (Yusuf Khan) एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा भविष्य में भी मैं, यूसुफ खान (Yusuf Khan) के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूँगा. अतः मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं बीमा पॉलिसियों इत्यादि में मेरा नाम इसुप खान के स्थान पर यूसुफ खान (Yusuf Khan) अंकित किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(इसुप खान)
(854-बी.)

नया नाम :
(यूसुफ खान)
पता-गोल पहाड़िया, बिजली घर के पास,
लशकर, ग्वालियर.

CHANGE OF SURNAME

I, Pinky Chouhan D/o Vikram Singh Chouhan have changed my name after marriage to Pinky Sisodiya W/o Chandrabhan Singh Sisodiya and now I would be known as Pinky Sisodiya W/o Chandrabhan Singh Sisodiya.

Old Name:
(PINKY CHOUHAN)

New Name :
(PINKY SISODIYA)
Add.—233, Palhar Nagar,
Indore (M.P.).

(855-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती आशीष दुबे पत्नी श्री अनिल दुबे हूँ, विवाह के पूर्व मेरा नाम आशा दुबे उर्फ आशीष दुबे था, विवाह के बाद मेरा नाम श्रीमती आशीष दुबे हो गया है। सभी दस्तावेजों में श्रीमती आशीष दुबे दर्ज है। सभी सरकारी विभाग/दस्तावेज में आशा दुबे के स्थान पर श्रीमती आशीष दुबे पढ़ा एवं लिखा जावे। अब मुझे श्रीमती आशीष दुबे से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :
(आशा दुबे उर्फ आशीष दुबे)

नया नाम :
(आशीष दुबे)
निवासी-वार्ड नं. 12, गांधी चौक, गुरादखेड़ा रेहटी,
जिला सीहोर (म.प्र.). 406446.

(856-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में नाम ओमप्रकाश किरार (धाकड़) आत्मज स्व. श्री मल्थूसिंह किरार (धाकड़) था। अब उक्त नाम बदलकर सही नाम दलवीर सिंह किरार (धाकड़) पुत्र स्व. श्री मल्थू सिंह किरार (धाकड़) हो गया है। मेरे आधार कार्ड, वोटर आई. डी. कार्ड समग्र आई.डी. अंकसूची में मेरा नाम दलवीर सिंह किरार (धाकड़) अंकित है। जो सही है। अतः मुझे दलवीर सिंह किरार (धाकड़) के नाम से एवं पहचाना जाना जावे।

पुराना नाम :
(ओम प्रकाश किरार)

नया नाम :
(दलवीर सिंह किरार धाकड़)
निवासी-ग्राम बरबाई, तह. ग्यारसपुर,
जिला विदिशा (म.प्र.).

(857-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सुभाष जोशी आत्मज स्व. श्री हजारीलाल जोशी, निवासी K- 35, पुलिस लाइन नेहरुनगर, भोपाल मेरी पुत्री भूमि जोशी (Bhoomi Joshi) की नाम की स्पेलिंग (Bhumi) गलत लिखी गई थी जिसे सुधार कर (Bhoomi Joshi) पढ़ा जावे।

(859-बी.)

प्रार्थी.
सुभाष जोशी.

आम सूचना

हमारी फर्म प्रिया एक्सपोर्ट्स पता-246 ख गायत्री मंदिर के सामने मैन रोड, गढ़ीमलहरा जिला छतरपुर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 06/12/01/0068/17, दिनांक 31-07-2017 से एक भागीदार फर्म है। जिसमें हम 1. सुधीर कुमार सिंह 2. सचिन चौरसिया भागीदार हैं। उक्त में से दिनांक 18-12-2018 को सुधीर कुमार सिंह फर्म से पृथक् हो चुके हैं एवं श्रीमती मीना देवी चौरसिया फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं। अब सचिन चौरसिया व श्रीमती मीना देवी चौरसिया दो भागीदार कहलायेंगे व दोनों भागीदारों की आपसी सहमति से फर्म का नाम परिवर्तित कर प्रिया एक्सपोर्ट्स की जगह प्रिया एक्सपोर्ट कर दिया है। सो विदित हो।

(843-बी.)

फर्म प्रिया एक्सपोर्ट,
1. सचिन चौरसिया,
2. मीना देवी चौरसिया
(भागीदार).

NOTICE

Shri Naraindas S/o Late Shri Ramchand Rijhwani Partner M/s Hind Contractors & Co. 172, Jairampur Colony, Indore expired on 30-08-2017. The remaining two partners of the firm shri Anil S/o late Naraindas Rijhwani and Shri Jayant S/o late Naraindas Rijhwani have taken over the business of the firm as Partners *W.E.F.* 30-08-2017.

M/s Hind Contractors & co.

1. ANIL N. RIJHWANI
 2. JAYANT N- RIJHWANI
- (Partners).

(844-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदार फर्म Mahesh Auto Sales & Service जिसका पता 8 A, RNT मार्ग हैं तथा जिसका पंजीयन क्रमांक 60 दिनांक 18/04/1974 से एक भागीदारी फर्म है उक्त भागीदारी फर्म में से 1. श्री लोकेश मोदी, 2. श्री हेमंत कुमार दानी, 3. श्री महेश कुमार मोदी दिनांक 01-04-2018 से फर्म से अलग हो गये हैं. अतः भविष्य में उक्त भागीदारों का हमारी फर्म से कोई सम्बंध नहीं रहेगा.

For-Mahesh Auto Sales & Service

1. पुरूषोत्तम मोदी,
 2. मूनमून मंगल,
- (Partner).

(845-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदार फर्म Mahesh Associates जिसका पता 61, RNT मार्ग हैं तथा जिसका पंजीयन क्रमांक 1F/135/02-03 दिनांक 19-02-03 से एक भागीदारी फर्म है. उक्त भागीदारी फर्म में से 1. श्री लोकेश मोदी 2. श्री हेमंत कुमार दानी, 3. श्रीमती कुसुम मोदी, 4. श्रीमती किरण दानी दिनांक 01-04-2018 से फर्म से अलग हो गये हैं. अतः भविष्य में उक्त भागीदारों का हमारी फर्म से कोई सम्बंध नहीं रहेगा.

For-Mahesh Associates,

1. पुरूषोत्तम मोदी,
 2. शकुन्तला मोदी,
- (Partner).

(846-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स आदित्य ट्रेडिंग, 33-बी, सुबिधि नगर, छोटाबांगड़दा, इंदौर मध्यप्रदेश भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन क्रमांक 03/27/01/0158/17, दिनांक 03-10-2017 पर रजिस्टर्ड फर्म है. सर्व श्री (1) अतुल मेहता पिता कैलाशचंद्र जी मेहता, (2) श्री लखन तिवारी पिता स्व.श्री बाबूलाल जी तिवारी, (3) अक्षय मेहता पिता श्री कैलाशचंद्र मेहता फर्म के भागीदार हैं. अक्षय मेहता पिता श्री कैलाशचंद्र मेहता दिनांक 17-10-2018 से अपनी स्व खुशी, स्वेच्छा एवं आपसी सहमति से अपना हिस्सा लेकर फर्म से अलग हो गये हैं. फर्म में श्री अक्षय मेहता का अब कोई भी न लेन-देन शेष है, न ही फर्म में इनका कोई दखल शेष है.

वास्ते-फर्म आदित्य ट्रेडिंग,

- अतुल मेहता,
लखन तिवारी,
(भागीदार).

(847-बी.)

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE is hereby given that the partnership heretofore subsisting between Mr. Amit Goel S/o Mr. N.P. Goel R/o B-109, Nirupam Royal palms, Hoshangabad Road, Bhopal and Mr. Pinan Chawla S/o late Mr. Ramu Mal Chawla R/o 51, Shree Golden City, Hoshangabad Road, Bhopal carrying on the business under the name and style of M/s. Organic Eden (Partnership Firm) executed between them on May 07, 2015

and registered vide registration number 01/01/01/0107/15 (year 2015-16) and having its registered Office at Z-18, II nd Floor, Near Miracle Hospital Zone-I, M.P. Nagar, Bhopal-462011, M.P. is dissolved by mutual consent as from the 14th day of November 2018.

For-Organic Eden,
अमित गोयल,
पिनन चावला,
Partner.

(850-B.)

Add.—M.P. Nagar, Bhopal.

NOTICE**U/S 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that in the firm of M/s Shree Enterprises, Ratlam registered office at 40, Jain Colony, Ratlam (M.P) registered partnership firm vide Registration No. 07/37/01/00013/13, dated 18-07-2013 with the Registrar of firms, which was constituted vide partnership deed executed on 25th june 2013 and the initial partners where Shri Sanjay Jain S/o Manilal Jain and Smt. Manorama W/o Manilal Jain. In the above firm the following changes have occurred on 03-12-2018 Shri Sanjay Jain S/o Manilal Jain has been retired and Shri Manilal Jain S/o Jhabbalal Jain entered into Partnership vide Partnership deed dated 03-12-2018.

For-Shree Enterprises,
मणीलाल जैन,
मनोरमा जैन,
(Partner).

(858-B.)

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगौन

रा.प्र.क्र.04/बी-113(1)/2018-19.

प्रो.क्रं./18-19.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक लोक न्यास.

चूँकि प्रार्थी अध्यक्ष, “सत्य मेव जयते सोशल वेलफेयर ट्रस्ट”, पता- ग्राम नागझिरी, तहसील गोगांवा, जिला खरगोन द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल संपत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
01	चल संपत्ति	निरंक	निरंक -
02	अचल संपत्ति	निरंक	निरंक -

(54)

अभिषेक गेहलोत,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक, केन्द्रीय भूमि जल परिषद् कर्मचारी साख सह. संस्था मर्या. भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57-ग अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/2.—केन्द्रीय भूमि जल परिषद् कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, जिला भोपाल जिसका पजीयन क्र. /ARB/804, दिनांक 19 मार्च, 1986 है, को सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें जिला भोपाल के आदेश क्र./परिसमापन/2018/2594, दिनांक 23 अगस्त, 2018 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(19)

आर. के. ओझा,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

नर्मदा बीज पौध उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., शाहगंज तह. बुधनी, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1382, दिनांक 13 सितम्बर, 2007 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/731/सीहोर, दिनांक 04 अगस्त, 2015 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एन. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

श्री एन. के. गुप्ता, परिसमापक द्वारा संस्था को पुर्नजीवित किये जाने हेतु कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के साथ उनके द्वारा आयोजित की गई संस्था की साधारण सभा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया गया है. प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि संस्था पुर्नजीवित होकर सक्षम इकाई के रूप में कार्य करेगी. उक्त स्थिति में यह पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित एवं आवश्यक है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(4) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26- जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नर्मदा बीज पौध उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., शाहगंज तह. बुधनी जिला सीहोर पंजीयक क्रमांक 1382, दिनांक 13 सितम्बर, 2007 का परिसमापन आदेश निरस्त करते हुये संस्था को पुर्नजीवित करता हूँ. संस्था के सामान्य कामकाज के संचालन के लिये प्रबंधकारिणी समिति को मनोनयन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में अनुशांसा की गई है उसके अनुसार निम्नलिखित प्रबंध कारिणी समिति मनोनीत की जाती है:- 1. श्री नरेश त्रिवेदी (अध्यक्ष), 2. श्रीमती सुशीलाबाई (उपाध्यक्ष), 3. श्री विनय भार्गव, 4. श्री बाबूलाल तिवारी, 5. श्री बदामीलाल, 6. श्री हलकेप्रसाद, 7. श्रीमती गुलाबबाई, 8. श्री अशोक कुमार भार्गव, 9. श्री चन्द्रप्रकाश पान्डे.

यह आदेश आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55)

सीहोर, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(12) के अंतर्गत]

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/पी-21/2018/2028, दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा ग्राम लावापानी में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई है.

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चकल्दी को पुर्नगठित कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, लावापानी का गठन होगा. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चकल्दी द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन को स्वीकृत करते हुए निम्नानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चकल्दी को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चकल्दी में चकल्दी, गोहान, हारमऊ, चिचलायकलों, कांकरिया, कोठरा, नादियाखेड़ा बाज्त, नरेला को मिलाकर एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, लावापानी में लावापानी, आमडो, आम्बाझिरी, बोरपानी, बीलपाटी, बनियागाँव, भैंसान, चतरकोटा, खापा, खजूरी, पाड़तलाई, सेमलपानी, सुरई, ढाँबा को मिलाकर दो संस्थाओं में विभाजित किया जायेगा. चूँकि संस्था का पुर्नगठन सदस्यों के हितों पर असर करता है. अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अन्तर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की गई.

पुर्नगठन की उपरोक्त स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के अन्तर्गत प्रेषित है.

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(56)

सीहोर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(12) के अंतर्गत]

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/पी-21/2018/2028, दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा ग्राम पिपलानी में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई है. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बाईबोड़ी को पुर्नगठित कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, पिपलानी का गठन होगा. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बाईबोड़ी द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन को स्वीकृत करते हुए निम्नानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बाईबोड़ी को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बाईबोड़ी में ग्राम:-बाईबोड़ी, बरखेडी, पीपल्या, बाकोट, हमीदगंज, मुहाई, बोरखेडा, चीचली को मिलाकर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलानी में पिपलानी, सिराली, फंडकी, घुटवानी, आमलापानी, इटावाखुर्द, किशनपुर, डोंगलापानी, घोधरा को मिलाकर दो संस्थाओं में विभाजित किया जायेगा. चूँकि संस्था का पुर्नगठन सदस्यों के हितों पर असर करता है. अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अन्तर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की गई.

पुर्नगठन की उपरोक्त स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के अन्तर्गत प्रेषित है.

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(57)

सीहोर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(12) के अंतर्गत]

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/पी-21/2018/2028, दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा ग्राम वासुदेव में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई है. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, डोभा को पुर्नगठित कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, वासुदेव का गठन होगा. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, डोभा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन को स्वीकृत करते हुए निम्नानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, डोभा को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, डोभा में ग्राम:-डोभा, कुमनताल, गोपालपुर, बचगाँव, सीगाँव को मिलाकर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, वासुदेव में वासुदेव, गोरखपुर, गिलहरी को मिलाकर दो संस्थाओं में विभाजित किया जायेगा. चूँकि संस्था का पुर्नगठन सदस्यों के हितों पर असर करता है. अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अन्तर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की गई.

पुर्नगठन की उपरोक्त स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के अन्तर्गत प्रेषित है.

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(58)

सीहोर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(12) के अंतर्गत]

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/पी-21/2018/2028,

दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा ग्राम बोरी में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रेहटी को पुर्नगठित कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, बोरी का गठन होगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रेहटी द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन को स्वीकृत करते हुए निम्नानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रेहटी को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रेहटी में ग्राम:-रेहटी, मालीबाया, गुनरडखेड़ा, सगोनिया, सलकनपुर, इटारसी, मकोड़िया, सेमरिया को मिलाकर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोरी में बोरी, भड़कुल, डोंगरी, देलावाड़ी, पिपलिया, खनपुरा, मथार, रतनपुर, सेमरी को मिलाकर दो संस्थाओं में विभाजित किया जायेगा। चूँकि संस्था का पुर्नगठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अन्तर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की गई।

पुर्नगठन की उपरोक्त स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के अन्तर्गत प्रेषित है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(62)

सीहोर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(12) के अंतर्गत]

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/पी-21/2018/2028, दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा ग्राम मोगरा में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, माथनी एवं मरदानपुर को पुर्नगठित कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, मोगरा का गठन होगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, माथनी द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2018 एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रेहटी द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन को स्वीकृत करते हुए निम्नानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रेहटी को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रेहटी में ग्राम:-रेहटी, मालीबाया, गुराडखेड़ा, सगोनिया, सलकनपुर को मिलाकर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मरदानपुर में ग्राम :-मरदानपुर, बैहराखेड़ा, रैऊगाँव, नेहलाई, रतनपुर, साँवलखेड़ा, मट्टागाँव, जाजना एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, माथनी में ग्राम माथनी, दीपाखेड़ा, पथोड़ा, पानगुराडियाँ, नकटीतलाई, नीलकछार, मुराह, धनकोट एवं नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मोगरा में ग्राम मोगरा, पांगरा, नीमखेड़ी, फुलाड़ा, इटारसी, मकोड़िया सेमरिया, आँवलीघाट, गांजीत को मिलाकर चार संस्थाओं में विभाजित किया जायेगा। चूँकि संस्था का पुर्नगठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अन्तर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की गई।

पुर्नगठन की उपरोक्त स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के अन्तर्गत प्रेषित है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(63)

सीहोर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अंतर्गत]

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चकल्दी से पुर्नगठित कर नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, लावापानी के पंजीयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 293, दिनांक 05 मई, 2018 द्वारा परिशिष्ट अ, ब, स में जानकारी प्रस्तुत की गई। उक्त जानकारी आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2018/640, दिनांक 08 मई, 2018 द्वारा प्रस्तावित नवीन संस्था लावापानी के गठन कर पंजीयन की स्वीकृति बावत् प्रस्ताव भेजा गया। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/पी-21/2018/2028, दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा ग्राम लावापानी, तहसील रेहटी में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2018/974, दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चकल्दी को पुर्नगठित कर परिणामतः प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, लावापानी के गठन हेतु वित्तदायी बैंक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चकल्दी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चकल्दी द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था विभाजन को स्वीकार किया गया। पारित प्रस्ताव अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चकल्दी में ग्राम-चकल्दी, गोहान, हारमऊ,

चिचलायकलॉ, कांकरिया, कोठरा, नादियाखेड़ा बाज्त, नरेला को एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., लावापानी में ग्राम-लावापानी, आमडो, आम्बाझिरी, बोरपानी, बीलपाटी, बनियागाँव, भैंसान, चतरकोटा, खापा, खजूरी, पाड़तलाई, सेमलपानी, सुरई, ढाँबा को कार्यक्षेत्र में लेकर पुर्नगठन किये जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.

चूँकि संस्था का पुर्नगठन सदस्यों के हितों पर असर करता है इसलिए अधिनियम की धारा-16 (5) के अन्तर्गत संस्था प्रबंधक द्वारा स्वेच्छा जाहिर करने का अवसर समस्त सदस्यों को दिया गया. कार्यालय के पत्र क्रमांक/पंजीयन/पुर्नगठन/2018/1559, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 द्वारा धारा-16(12) के अन्तर्गत पुर्नगठन स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-3 में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई.

चूँकि यह पुर्नगठन प्रस्ताव लोकहित में है, अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अन्तर्गत आदेश देता हूँ कि प्रभावित समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चकल्दी एवं परिणामी समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., लावापानी निम्नानुसार अपने आप को पुर्नगठित करें:-

प्रभावित संस्था	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चकल्दी, पंजीयन क्रमांक 220, दिनांक 25-07-1962	चकल्दी	चकल्दी, गोहान, हारमऊ, चिचलायकलॉ, कांकरिया, कोठरा, नादियाखेड़ा, बाज्त, नरेला.
परिणामी संस्था :		
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., लावापानी पंजीयन क्रमांक 1924, दिनांक 20-12-2018.	लावापानी	लावापानी, आमडो, आम्बाझिरी, बोरपानी, बीलपाटी, बनियागाँव, भैंसान, चतरकोटा, खापा, खजूरी, पाड़तलाई, सेमलपानी, सुरई, ढाँबा.

1. पुर्नगठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूँजी पूर्ववर्ती प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चकल्दी के पास रहेगी. सदस्यों की अंशपूँजी के संबंध में निर्देश यह है कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित किया जावे.
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जावे.
3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थाई अचल सम्पत्ति गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे पूर्ववर्ती संस्था के दायित्व में ही रहने दिया जावे.
4. संस्था में संचित लाभ या हानि का बटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे.
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे.
6. पूर्ववर्ती संस्था परिणामी संस्था को आवश्यक मात्रा में फर्नीचर, स्टेशनरी प्रदाय करेगी.
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ही होगा.

(59)

सीहोर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अंतर्गत]

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बाईबोडी से पुर्नगठित कर नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पिपलानी के पंजीयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सीहोर के पत्र क्रमांक फील्ड/36/18/293, दिनांक 05 मई, 2018 परिशिष्ट अ, ब, स में निर्धारित जानकारी एवं संस्था का प्रस्ताव दिनांक 18 मई, 2018 को प्राप्त हुआ. उक्त जानकारी आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2018/640, दिनांक 08 मई, 2018 द्वारा प्रस्तावित नवीन संस्था पिपलानी के गठन कर पंजीयन की स्वीकृति बावत् प्रस्ताव भेजा गया. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/पी-21/2018/2028, दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा ग्राम पिपलानी, तहसील नसरुल्लागंज में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2018/973, दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बाईबोडी को पुर्नगठित कर परिणामतः प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पिपलानी के गठन हेतु वित्तदायी बैंक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. सीहोर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बाईबोडी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया.

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बाईबोडी द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था विभाजन को स्वीकार किया गया. पारित प्रस्ताव अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बाईबोडी में ग्राम-बाईबोडी, बरखेड़ी, पीपल्या, बाकोट, हमीदगंज, मुहाई, बोरखेडा, चीचली को मिलाकर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पिपलानी में ग्राम-पिपलानी, सिराली, फंडकी, घुटवानी, आमलापानी, इटावाखुर्द, किशनपुर, डोंगलापानी, घोधरा को कार्यक्षेत्र में लेकर पुनर्गठन किये जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.

चूँकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है इसलिए अधिनियम की धारा-16 (5) के अन्तर्गत संस्था प्रबंधक द्वारा स्वेच्छा जाहिर करने का अवसर समस्त सदस्यों को दिया गया. कार्यालय के पत्र क्रमांक/पंजीयन/पुनर्गठन/2018/1573, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 द्वारा धारा-16(12) के अन्तर्गत पुनर्गठन स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-3 में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई.

चूँकि यह पुनर्गठन प्रस्ताव लोकहित में है, अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अन्तर्गत आदेश देता हूँ कि प्रभावित समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बाईबोडी, एवं परिणामी समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पिपलानी निम्नानुसार अपने आप को पुनर्गठित करें:-

प्रभावित संस्था	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बाईबोडी, पंजीयन क्रमांक 1664, दिनांक 27-10-1958	बाईबोडी	बाईबोडी, बरखेड़ी, पीपल्या, बाकोट, हमीदगंज, मुहाई, बोरखेडा, चीचली.
परिणामी संस्था :		
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पिपलानी पंजीयन क्रमांक 1925, दिनांक 21-12-2018.	पिपलानी	पिपलानी, सिराली, फंडकी, घुटवानी, आमलापानी, इटावाखुर्द, किशनपुर, डोंगलापानी, घोधरा.

1. पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूजी पूर्ववर्ती प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बाईबोडी/पिपलानी के पास रहेगी. सदस्यों की अंशपूजी के संबंध में निर्देश यह है कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित किया जावे.
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जावे.
3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थाई अचल सम्पत्ति गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे पूर्ववर्ती संस्था के दायित्व में ही रहने दिया जावे.
4. संस्था में संचित लाभ या हानि का बटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे.
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे.
6. पूर्ववर्ती संस्था परिणामी संस्था को आवश्यक मात्रा में फर्नीचर, स्टेशनरी प्रदाय करेगी.
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ही होगा.

(60)

सीहोर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अंतर्गत]

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., डोभा से पुनर्गठित कर नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., वासुदेव के पंजीयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सीहोर के पत्र क्रमांक फीलड/36/18/293, दिनांक 05 मई, 2018 परिशिष्ट अ, ब, स में निर्धारित जानकारी एवं संस्था का प्रस्ताव दिनांक 18 मई, 2018 को प्राप्त हुआ. उक्त जानकारी आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2018/640, दिनांक 08 मई, 2018 द्वारा प्रस्तावित नवीन संस्था वासुदेव के गठन कर पंजीयन की स्वीकृति बावत् प्रस्ताव भेजा गया. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/पी-21/2018/2080, दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा ग्राम पिपलानी, तहसील नसरुल्लागंज में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2018/971, दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., डोभा को पुनर्गठित कर परिणामतः प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., वासुदेव के गठन हेतु वित्तदायी बैंक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.सीहोर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., डोभा को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., डोभा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था विभाजन को स्वीकार किया गया। पारित प्रस्ताव अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., डोभा, में ग्राम-डोभा, कुमनताल, गोपालपुर, बचगांव, सीगाँव, एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., वासुदेव में ग्राम-वासुदेव, गोरखपुर, गिलहरी को कार्यक्षेत्र में लेकर पुनर्गठन किये जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

चूँकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है इसलिए अधिनियम की धारा-16 (5) के अन्तर्गत संस्था प्रबंधक द्वारा स्वेच्छा जाहिर करने का अवसर समस्त सदस्यों को दिया गया। कार्यालय के पत्र क्रमांक/पंजीयन/पुनर्गठन/2018/1574, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 द्वारा धारा-16(12) के अन्तर्गत पुनर्गठन स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-3 में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई।

चूँकि यह पुनर्गठन प्रस्ताव लोकहित में है, अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अन्तर्गत आदेश देता हूँ कि प्रभावित समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बाईबोड़ी, एवं परिणामी समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पिपलानी निम्नानुसार अपने आप को पुनर्गठित करें:-

प्रभावित संस्था	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., डोभा, पंजीयन क्रमांक 142, दिनांक 31-12-1960	डोभा	डोभा, कुमनताल, गोपालपुर, बचगाँव, सीगाँव.
परिणामी संस्था :		
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., वासुदेव पंजीयन क्रमांक 1926, दिनांक 21-12-2018.	वासुदेव	वासुदेव, गोरखपुर, गिलहरी.

1. पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूजी पूर्ववर्ती प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., डोभा/वासुदेव के पास रहेगी। सदस्यों की अंशपूजी के संबंध में निर्देश यह है कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित किया जावे।
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जावे।
3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थाई अचल सम्पत्ति गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे पूर्ववर्ती संस्था के दायित्व में ही रहने दिया जावे।
4. संस्था में संचित लाभ या हानि का बटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे।
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे।
6. पूर्ववर्ती संस्था परिणामी संस्था को आवश्यक मात्रा में फर्नीचर, स्टेशनरी प्रदाय करेगी।
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ही होगा।

(61)

सीहोर, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अंतर्गत]

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी से पुनर्गठित कर नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बौरी के पंजीयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सीहोर के पत्र क्रमांक फील्ड/36/18/293, दिनांक 05 मई, 2018 परिशिष्ट अ, ब, स में निर्धारित जानकारी एवं संस्था का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त जानकारी आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2018/640, दिनांक 08 मई, 2018 द्वारा प्रस्तावित नवीन संस्था बौरी के गठन कर पंजीयन की स्वीकृति बावत् प्रस्ताव भेजा गया। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/पी-21/2018/2080, दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा ग्राम बौरी, तहसील रेहटी में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2018/970, दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी को पुनर्गठित कर परिणामतः प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बौरी के गठन हेतु वित्तदायी बैंक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.सीहोर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., डोभा को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था विभाजन को स्वीकार किया गया। पारित प्रस्ताव अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी, में ग्राम-रेहटी, मालीबाया, गुराड़खेड़ा,सगोनिया, सलकनपुर, इटारसी, मकोड़िया, सेमरिया एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित बौरी में ग्राम:- बौरी, भड़कुल, डोंगरी, देलावाड़ी, पिपलिया, खनपुरा, मथार, रतनपुर, सेमरी को कार्यक्षेत्र में लेकर पुनर्गठन किये जाने हेतु सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

चूँकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है इसलिए अधिनियम की धारा-16 (5) के अन्तर्गत संस्था प्रबंधक द्वारा स्वेच्छा जाहिर करने का अवसर समस्त सदस्यों को दिया गया। कार्यालय के पत्र क्रमांक/पंजीयन/पुनर्गठन/2018/1588, दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 द्वारा धारा-16(12) के अन्तर्गत पुनर्गठन स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-3 में प्रकाशन हेतु विज्ञापित जारी की गई।

चूँकि यह पुनर्गठन प्रस्ताव लोकहित में है, अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अन्तर्गत आदेश देता हूँ कि प्रभावित समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी, एवं परिणामी समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बौरी निम्नानुसार अपने आप को पुनर्गठित करें:-

प्रभावित	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी, पंजीयन क्रमांक 19, दिनांक 19-09-1959 परिणामी संस्था :	रेहटी	रेहटी,गुराड़खेड़ा, मालीबाया, सगोनिया, सलकनपुर, इटारसी, मकोड़िया, सेमरिया।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बौरी, पंजीयन क्रमांक 1927, दिनांक 31-13-2018.	बौरी	बौरी, भड़कुल, डोंगरी, देलावाड़ी, पिपलिया, खनपुरा, मथार, रतनपुर, सेमरी।

1. पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूँजी पूर्ववर्ती प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी के पास रहेगी। सदस्यों की अंशपूँजी के संबंध में निर्देश यह है कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित किया जावे।
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जावे।
3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थाई अचल सम्पत्ति गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे पूर्ववर्ती संस्था के दायित्व में ही रहने दिया जावे।
4. संस्था में संचित लाभ या हानि का बटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे।
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे।
6. पूर्ववर्ती संस्था परिणामी संस्था को आवश्यक मात्रा में फर्नीचर, स्टेशनरी प्रदाय करेगी।
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ही होगा।

(64)

सीहोर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अंतर्गत]

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मरदानपुर एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित माथनी से पुनर्गठित कर नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मोगरा के पंजीयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सीहोर के पत्र क्रमांक फील्ड/36/18/293, दिनांक 05 मई, 2018 परिशिष्ट अ, ब, स में निर्धारित जानकारी एवं संस्था का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। दिनांक 18 मई, 2018 को प्राप्त हुआ। उक्त जानकारी आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक

सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2018/640, दिनांक 08 मई, 2018 द्वारा प्रस्तावित नवीन संस्था मोगरा के गठन कर पंजीयन की स्वीकृति बावत् प्रस्ताव भेजा गया. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/पी-21/2018/2080, दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा ग्राम मोगरा तहसील रेहटी में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2018/970 क्र. 975 एवं क्र. 990, दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., माथनी एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मरदानपुर को पुनर्गठित कर परिणामतः प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मोगरा के गठन हेतु वित्तदायी बैंक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.सीहोर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी, माथनी एवं मरदानपुर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया.

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2018 एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., माथनी द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2018 एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मरदानपुर द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था विभाजन को स्वीकार किया गया. पारित प्रस्ताव अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी में ग्राम:-रेहटी, मालीबाया, गुराड़खेड़ा, सगोनिया, सलकनपुर को मिलाकर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मरदानपुर में ग्राम :-मरदानपुर, बैहराखेड़ी, रैऊगाँव, नेहलाई, रतनपुर, साँवलखेड़ा, मट्ठागाँव, जाजना एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, माथनी में ग्राम माथनी, दीपाखेड़ा, पथोड़ा, पानगुराड़ियों, नकटीतलाई, नीलकछार, मुर्गाह, धनकोट एवं नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मोगरा में ग्राम मोगरा, पांगरा, नीमखेड़ी, फुलाड़ा, इटारसी, मकोड़िया सेमरिया, आँवलीघाट, गांजीत को कार्यक्षेत्र में लेकर पुनर्गठन किये जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.

चूँकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है इसलिए अधिनियम की धारा-16 (5) के अन्तर्गत संस्था प्रबंधक द्वारा स्वेच्छा जाहिर करने का अवसर समस्त सदस्यों को दिया गया. कार्यालय के पत्र क्रमांक/पंजीयन/पुनर्गठन/2018/1589, दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 द्वारा धारा-16 (12) के अन्तर्गत पुनर्गठन स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-3 में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई.

चूँकि यह पुनर्गठन प्रस्ताव लोकहित में है, अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अन्तर्गत आदेश देता हूँ कि प्रभावित समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी, माथनी, मरदानपुर एवं परिणामी समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मोगरा निम्नानुसार अपने आप को पुनर्गठित करें:-

प्रभावित संस्था	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी, पंजीयन क्रमांक 19, दिनांक 19-09-1959	रेहटी	रेहटी, गुराड़खेड़ा, मालीबाया, सगोनिया, सलकनपुर.
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., माथनी, पंजीयन क्रमांक 1626, दिनांक 12-06-1958	माथनी	माथनी, दीपाखेड़ा, पथोड़ा, पानगुराड़ियों, नकटीतलाई, नीलकछार, मुर्गाह, धनकोट.
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मरदानपुर, पंजीयन क्रमांक 138, दिनांक 26-06-1961	मरदानपुर	मरदानपुर, बैहराखेड़ी, रैऊगाँव, नेहलाई, रतनपुर, साँवलखेड़ा, मट्ठागाँव, जाजना.
परिणामी संस्था :		
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मोगरा पंजीयन क्रमांक 1928, दिनांक 31-12-2018.	मोगरा	मोगरा, पांगरा, नीमखेड़ी, फुलाड़ा, इटारसी, मकोड़िया सेमरिया, आँवलीघाट, गांजीत

1. पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूजी पूर्ववर्ती प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी/माथनी/मरदानपुर के पास रहेगी. सदस्यों की अंशपूजी के संबंध में निर्देश यह है कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित किया जावे.
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जावे.
3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थाई अचल सम्पत्ति गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे पूर्ववर्ती संस्था के दायित्व में ही रहने दिया जावे.

4. संस्था में संचित लाभ या हानि का बटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे.
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे.
6. पूर्ववर्ती संस्था परिणामी संस्था को आवश्यक मात्रा में फर्नीचर, स्टेशनरी प्रदाय करेगी.
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ही होगा.

(65)

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी, 2019-माघ 5 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 22 अगस्त, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा तथा राज्य के निम्नांकित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.—

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:— तहसील मेहगांव, लहार (भिण्ड), मुंगावली (अशोकनगर), बलदेवगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), बकस्वाहा (छतरपुर), बण्डा, शाहगढ़ (सागर), बटियागढ़, दमोह (दमोह), रामपुर-बघेलान (सतना), मनवां, जवा, रायपुरकचुं (रीवा), बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, रीठी, बड़वारा, बरही (कटनी) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक:— तहसील मुरैना, कैलारस (मुरैना), रौन-मिहोना (भिण्ड), सेंवढ़ा, भाण्डेर (दतिया), शिवपुरी, खनियाधाना, पोहरी (शिवपुरी), बमोरी (गुना), नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, लवकुशनगर (छतरपुर), पन्ना + देवेन्द्रनगर (पन्ना), सागर (सागर), चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), सिंगरौली (सिंगरौली), मुड़वाराकटनी, विजयराघोगढ़ (कटनी), घुघरी (मण्डला), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. तक वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(स) 35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक:— तहसील अम्बाह (मुरैना), श्योपुर, विजयपुर (श्योपुर), पिछोर, कोलारस (शिवपुरी), चन्देरी (अशोकनगर), गुना, राघोगढ़, आरौन, चांचोड़ा (गुना), निबाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा (टीकमगढ़), बड़ामल्हरा (छतरपुर), गढ़ाकोटा, राहतगढ़, मालथौन (सागर), हटा, पिपरिया (दमोह), नागौदा, अमरपाटन, मैहर, विरसिंहपुर (सतना), त्योथर, सिरमौर, मऊगंज, गुढ़ (रीवा), गोहपारू (शहडोल), बांधवनगर, पाली, मानपुर (उमरिया), सिंहावल (सीधी), चितरंगी (सिंगरौली), बड़ोद, सुसनेर, नलखेड़ा (आगर) मेघनगर, झाबुआ (झाबुआ), डही (धार), ग्यारसपुर (विदिशा), मुलताई (बैतूल), मझोली (जबलपुर), लखनादौन, धनौरा, घंसौर (सिवनी) में उक्त मि.मी. के अंतर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(द) 53.2 मि.मी. से 244.9 मि.मी. तक:— तहसील पोरसा, जौरा, सबलगढ़ (मुरैना), कराहल (श्योपुर), गोहद (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगाँव (ग्वालियर), दतिया (दतिया), नरवर, करैरा, बैराढ़ा, बदरवास (शिवपुरी), ईशागढ़, अशोकनगर (अशोकनगर), टीकमगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार (छतरपुर), अजयगढ़, गुन्नौर + अमानगंज, पबई + सिमरिया, रैपुरा + शाहनगर (पन्ना), बीना, खुरई, रेहली, देवरी, कंसली (सागर), जबेरा, तेंदूखेड़ा, पटेरा (दमोह), रघुराजनगर, मझगवां, उचेहरा, रामनगर (सतना), हनुमना, हुजूर (रीवा), सोहागपुर, ब्योहारी, जयसिंहनगर, बुढ़ार, जैतपुर (शहडोल), अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), गोपदबनास, मझोली, कुसमी,

बहरी (सीधी), देवसर (सिंगरौली), सुबासरा, गरौठ, मन्दसौर + दालोद, श्यामगढ़, सीतामऊ (मन्दसौर), जावद, नीमच, मनासा (नीमच), जाबरा, आलोठ, बाजना, ताल, रावटी, पिपलोदा, रतलाम (रतलाम), आगर (आगर), खाचरोद, महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), मोमनबड़ोदिया, शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), सोनकच्छ, टोंकखुर्द, देवास, बागली, कन्नौद, हाटपिपल्या, सतवास, उदयनगर, खातेगाँव (देवास), थांदला, पेटलावद, राणापुर रामा (झाबुआ), जोबट, सोड़वा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी (धार), देपालपुर, सांवेर, इन्दौर, मऊ अम्बेडकरनगर, गोतमपुरा (इन्दौर), बड़वाह, महेश्वर, खरगौन, कसरवाद (खरगौन), बड़वानी, ठीकरी, राजकोट, सेंधवा, पानसेमल, पाटी, बरला, निवाली (बड़वानी), बुरहानपुर, खकनार, नैपानगर (बुरहानपुर), राजगढ़, जीरापुर, खिलचीपुर, ब्यावरा, सारंगपुर, पचौर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बासोदा, नटेरन, विदिशा, गुलाबगंज (विदिशा), बैरसिया, हुजूर (भोपाल), सीहोर, आष्टा, इच्छावर, नसरुल्लागंज, रहेटी, श्यामपुर, जावर, बुधनी (सीहोर), बेगमगंज, गोहरगंज, बरेली, सिलवानी, बाडी, उदयपुरा (रायसेन), बैतूल, भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, आठनेर, आमला (बैतूल), होशंगाबाद, सिवनी-मालवा, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, बनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), जबलपुर, कुण्डम, सीहोरा, पाटन, शाहपुरा, पनागर (जबलपुर), नरसिंहपुर, गोटोगाँव, करेली, गाडरवारा, तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर), मण्डला, नैनपुर, बिछिया, निवास, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा, बजाग (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, परासिया, जुन्नारदेव, सौंसर, बिछुआ, अमरवाड़ा, चौरई, उमरेठ, हरई, चांद (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, कुरई, केवलारी, छपारा (सिवनी), बालाघाट, लांजी, किरनापुर, बैहर, बारासिवनी, लालबर्गा, तिरोड़ी, परसवाड़ा, बिरसा, खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(य) 245.0 मि.मी. से 449.9 मि.मी. तक:- तहसील जैतहरी, पुष्परजगढ़ (अनूपपुर), मानपुरा, मल्हारगढ़ (मन्दसौर), सैलाना (रतलाम), अलीराजपुर, चं.शे.आ.नगर, कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), कुक्षी (धार), सेगां, गोगांव, भगवानपुरा, भीकनगाँव, झिरन्या (खरगौन), रायसेन, गैरतगंज (रायसेन), तामियां (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि.मी. के अंतर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जुताई :- जिला मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, ग्वालियर, पन्ना, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, अलीराजपुर, बड़वानी, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. बोनी:- जिला मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, ग्वालियर, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, देवास, बड़वानी, राजगढ़, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी व सिवनी में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

4. रोपाई :- जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, रायसेन, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा व सिवनी में धान रोपाई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

5. फसल स्थिति:-

..

6. कटाई:-

..

7. सिंचाई:- जिला छतरपुर, सागर, रीवा, उमरिया, नीमच, खरगौन, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, बैतूल में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

8. पशुओं की स्थिति:-

..

9. चारा:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

10. बीज:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

11. खेतिहर श्रमिक:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा तथा उचित रेट पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 22 अगस्त, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	50.0				
2. पोरसा	125.0				
3. मुरैना	27.0				
4. जौरा	79.0				
5. कैलारस	30.0				
6. सबलगढ़	81.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है. धान रोपाई चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, मूँग, उड़द, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	51.0				
2. कराहल	64.0				
3. विजयपुर	52.0				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	. .				
2. भिण्ड	. .				
3. गोहद	57.2				
4. मेंहगांव	14.4				
5. लहार	2.0				
6. रौन+मिहोना	26.0				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है. धान रोपाई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	148.5				
2. डबरा	76.0				
3. भितरवार	126.5				
4. चीनोर	. .				
5. घाटीगांव	117.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, उड़द, तिल अधिक. मूँग, मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवदा	27.0				
2. दतिया	88.0				
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	32.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) मूँगफली, सोयाबीन अधिक. उड़द कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	32.0				
2. पिछोर	41.0				
3. खनियाधाना	24.0				
4. नरवर	160.0				
5. करैरा	95.0				
6. कोलारस	35.0				
7. पोहरी	21.0				
8. बैराढ़	68.0				
9. बदरवास	62.0				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) उड़द मक्का अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	01.0				
2. ईसागढ़	96.0				
3. अशोकनगर	54.0				
4. चन्देरी	52.0				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	101.9				
2. राघोगढ़	44.0				
3. बमोरी	34.0				
4. आरोन	155.0				
5. चाचौड़ा	92.0				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	108.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) उड़द, मूँग, तिल अधिक. धान, ज्वार, सोयाबीन, तुअर, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	44.0				
2. पृथ्वीपुर	39.0				
3. जतारा	35.0				
4. टीकमगढ़	74.0				
5. बल्देवगढ़	10.0				
6. पलेरा	13.0				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	54.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .				
2. गौरीहार	81.0				
3. नौगांव	18.8				
4. छतरपुर	30.4				
5. राजनगर	33.1				
6. बिजावर	28.1				
7. बड़ा मलहरा	50.4				
8. महाराजपुर	. .				
9. चंदला	. .				
10. धुवारा	. .				
11. लवकुशनगर	25.0				
12. बक्सवाहा	11.8				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	57.8	धान रोपाई चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना+देवेन्द्रनगर	28.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अमानगंज+गुन्नौर	85.0				
4. पवई+सिमरिया	151.6				
5. शाहनगर+रैपुरा	86.7				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	116.2		4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	54.4		ज्वार, मक्का, कोंदो-कुटकी,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	2.0		तुअर, मूँग, तिल, मूँगफली कम.		
4. सागर	30.6		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी		
5. रेहली	94.0		हुई.		
6. देवरी	150.0				
7. गढ़ाकोटा	41.8				
8. राहतगढ़	35.0				
9. केसली	124.4				
10. मालथोन	52.0				
11. शाहगढ़	9.0				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	51.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	10.5		उड़द, धान, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	16.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पथरिया	35.0				
5. जवेरा	101.0				
6. तेन्दूखेड़ा	75.6				
7. पटेरा	118.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	60.6	धान रोपाई कार्य चालू है.	4. (1) मूँग, तुअर, मक्का, तिल,	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	76.0		ज्वार समान. धान, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	12.0		सोयाबीन, कोंदो-कुटकी कम.		
4. नागौद	42.9		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. उचेहरा	67.0				
6. अमरपाटन	37.0				
7. रामनगर	124.0				
8. मैहर	42.0				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	44.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	41.6	धान रोपाई कार्य चालू है.	4. (1) धान, सोयाबीन, मूँग, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	37.2		ज्वार, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	47.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	65.4				
5. हजूर	78.8				
6. गुढ़	45.8				
7. मनगवां	12.2				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	15.0				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकचुलियान	10.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी व धान रोपाई कार्य चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	113.0		4. (1) मक्का, धान, तुअर, सोयाबीन अधिक. उड़द, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	64.0		(2) . .		
3. जयसिंहनगर	54.0				
4. बुढ़ार	54.0				
5. गोहपारू	47.0				
6. जैतपुर	99.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी व धान रोपाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	279.3		4. (1) मक्का, धान, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, उड़द, तिल समान है	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	96.2		(2) धान सुधरी हुई., शेष फसलें समान.		
3. कोतमा	130.8				
4. पुष्पराजगढ़	393.0				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी व धान रोपाई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	52.1		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	36.7		(2) . .		
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	48.1				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी व धान रोपाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	60.8		4. (1) मक्का, उड़द, मूँग, ज्वार, समान. धान, तुअर, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	36.0		(2) . .		
3. मझौली	57.0				
4. कुसमी	57.0				
5. चुरहट	29.2				
6. बहरी	55.2				
7. रामपुरनैकिन	34.0				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी व धान रोपाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	36.2		4. (1) मक्का, तुअर, ज्वार, कोदों समान. धान रामतिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	53.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	32.3				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा	138.2		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	261.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मल्हारगढ़	271.0				
4. गरोठ	206.2				
5. मंदसौर+दलोदा	186.0				
6. श्यामगढ़	127.0				
7. सीतामऊ	160.7				
8. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	114.0			4.(1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	145.0			मक्का, उड़द, तुअर, मूँग,	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगौली	..			तिल, ज्वार कम.		
4. जीरन	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
5. रामपुर	..					
6. मनासा	168.0					
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	201.0			4.(1) सोयाबीन अधिक. मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	129.0			कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	248.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बाजना	165.0					
5. ताल	183.2					
6. रावटी	137.0					
7. पिपलोदा	144.0					
8. रतलाम	118.0					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	90.0			4. (1) उड़द, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	65.0			मक्का, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	138.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घटिया	140.0					
5. उज्जैन	159.0					
6. बड़नगर	110.0					
7. नागदा	179.0					
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	39.0			4. (1) सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	35.0			(2) सोयाबीन समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	40.8					
4. आगर	78.0					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	85.0			4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	105.0			तुअर, उड़द अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	148.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कालापीपल	147.0					
5. पोलाय कलां	..					
6. अवंतीपुर बड़ौदिया	..					
7. गुलाना	150.0					
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	बोनी कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	175.0			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	112.0			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	97.0					
4. बागली	152.0					
5. कन्नोद	96.0					
6. हाटपिपल्या	200.0					
7. सतवास	132.0					
8. उदयनगर	150.0					
9. खातेगांव	125.0					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	70.6		4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, सोयाबीन, तुअर अधिक. कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर रामा	45.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. पेटलावद	70.2				
4. रामा	75.0				
5. झाबुआ	51.2				
6. राणापुर	58.0				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	201.5		4. (1) मक्का, बाजरा, उड़द, ज्वार, कपास अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	246.2		(2) . .		
3. कट्टीवाड़ा	373.0				
4. सोंडवा	144.0				
5. उदयगढ़	199.8				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	282.0				
7. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	119.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	233.0		(2) . .		
3. धार	58.0				
4. कुक्षी	250.0				
5. मनावर	183.0				
6. धरमपुरी	239.0				
7. गंधवानी	210.0				
8. डही	45.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	217.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	139.7		(2) . .		
3. इन्दौर	156.4				
4. गोतमपुरा	125.0				
5. महू	206.0				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	230.0		4. (1) धान, मक्का, मूँफली, कपास, तुअर अधिक, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	196.6		(2) . .		
3. सेगांव	286.0				
4. खरगौन	213.9				
5. गोगावां	260.2				
6. कसरावद	181.0				
7. भगवानपुरा	265.8				
8. भीकनगांव	358.0				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	288.0				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	168.6		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	216.0		(2) . .		
3. राजपुर	78.0				
4. सेंधवा	98.0				
5. पानसेमल	107.0				
6. पाटी	119.0				
7. अंजड	. .				
8. बरला	108.0				
9. निवाली	150.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34.*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पुनासा	. .		(2) . .		
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	217.5		4. (1) कपास, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	168.9		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	208.0				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	95.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	112.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	104.0				
4. ब्यावरा	107.4				
5. सारंगपुर	152.0				
6. पचोर	90.0				
7. नरसिंहगढ़	88.0				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	76.0		4. (1) सोयाबीन, उड़द समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	107.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	99.1				
4. बासोदा	84.8				
5. नटेरन	57.0				
6. विदिशा	145.2				
7. गुलाबगंज	58.0				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	38.0				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	83.0		4. (1) सोयाबीन, मूँग, उड़द, ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	183.9		मक्का, धान कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बैरागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	184.7		4. (1) मक्का, उड़द अधिक. गन्ना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	176.0		धान समान. सोयाबीन, ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	122.0		मूँग-मोंट, तुअर कम.		
4. नसरुल्लागंज	86.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहटी	55.0				
6. श्यामपुर	226.0				
7. जावर	194.0				
8. बुधनी	78.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	258.0		4. (1) सोयाबीन, धान, तुअर, मक्का, उड़द, मूँग, मूँगफली, गन्ना, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	274.4		(2) . .		
3. बेगमगंज	68.0				
4. गोहरगंज	110.0				
5. बरेली	150.0				
6. सिलवानी	146.2				
7. बाड़ी	138.5				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	196.3				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. बैतूल	70.4		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	230.5				
3. घोड़ाडोंगरी	108.2				
4. शाहपुर	92.4				
5. चिचोली	145.5				
6. मुल्ताई	37.6				
7. आठनेर	108.3				
8. आमला	64.0				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	78.6		4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	172.0				
3. बावई	52.0				
4. इटारसी	99.4				
5. सोहागपुर	62.0				
6. पिपरिया	83.2				
7. बनखेड़ी	69.8				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	100.2				
43. *जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . . (2) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .				
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	125.0		4. (1) मक्का अधिक. धान समान. तुअर, उड़द, सोयाबीन, मूँग, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	223.0				
3. सीहोरा	201.0				
4. पाटन	172.0				
5. मझौली	51.4				
6. शाहपुरा	66.2				
7. पनागर	202.7				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	13.4		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	13.2				
3. रीठी	6.5				
4. बड़वारा	2.7				
5. मुड़वारा (कटनी)	24.1				
6. विजयराघवगढ़	30.1				
7. बरही	16.5				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	117.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	147.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	96.0				
4. गाडरवारा	80.0				
5. तेंदूखेड़ा	159.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	96.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	78.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	81.5				
4. निवास	104.0				
5. नारायणगंज	75.7				
6. घुघरी	27.2				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी व धान रोपाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	62.2		4. (1) धान, मक्का, उड़क, सोयाबीन, तुभर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	127.6		रामतिल, कोदों-कूटकी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	61.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	59.4		4. (1) धान, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	283.0		मूँगफली समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	72.5		सोयाबीन कम.		
4. जुन्नारदेव	163.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. सांसर	56.0				
6. बिछुआ	110.8				
7. अमरवाड़ा	54.6				
8. चौरई	69.2				
9. उमरेठ	73.0				
10. मोहखेड	34.2				
11. हरई	55.6				
12. चांद	72.0				
13. पाहुर्णा	51.3				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है. धान रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	107.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	151.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	105.0				
4. कवलारी	70.7				
5. लखनादोन	52.0				
6. छपारा	60.8				
7. धनोरा	48.5				
8. घंसार	41.0				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	56.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	60.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	98.2				
4. बैहर	63.3				
5. वारासिवनी	87.9				
6. कटंगी	23.3				
7. लालबर्सा	142.0				
8. तिरोडी	72.6				
9. परसवाड़ा	122.0				
10. बिरसा	60.0				
11. खैरलाँजी	122.0				

*जिला:- जिला खण्डवा, हरदा से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.